न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 159/2017 **दायर दिनांकः 27.10.2017**

उनवान

1. कमल सिंह आयु 38 वर्ष पुत्र सुखराम जाति मीणा निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. सुरेन्द सिंह आयु 38 वर्ष पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. तेजवीर सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 कार्यालय के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. लोकेन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 कार्यालय के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
4. सारिका कुमारी आयु 28 वर्ष पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 कार्यालय के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
5. कृष्णा कुमारी आयु 70 वर्ष बेवा राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 कार्यालय के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. जतन कंवर आयु 75 वर्ष बेवा बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
7. नंदकंवर आयु 72 वर्ष बेवा भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
8. भवानी सिंह आयु 44 वर्ष पुत्र भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
9. योगेन्द्र सिंह आयु 42 वर्ष पुत्र भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

10. रामसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
11. धर्मकंवर बाई आयु 48 वर्ष पुत्री रतन सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
12. बैजन्ती बाई उर्फ छोटी बाई आयु 46 वर्ष पुत्री रतन सिंह जाति राजूपत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
13. सुग्रीव सिंह आयु 45 वर्ष पुत्र मदन लाल जाति मीणा निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
14. बृजकंवर बाई आयु 40 वर्ष पत्नि दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी ननावता तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
15. शाखा प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
16. शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा अटरू जिला बारां।
17. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन

प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह प्रति. क्रम 2 ता 5

विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रति. क्रम 14

विद्वान अभिभाषक श्री हरिशचन्द्र हाडा प्रति. क्रम 15

निर्णय

दिनांक 15/12/2022

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 31.07.2017 की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय भू. प्रबंध अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा इस न्यायालय के आदेश एवं डिक्री दिनांक 30.03.2016 को अपास्त कर प्रकरण में सहखातेदारों के विधिक हिस्सा तय कर, नये सिरे से, विधि सम्मत निर्णय पारित करने के लिए आदेश दिये गये।

2. संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91,188 काश्तकारी अधिनियम (आर.टी.एक्ट) का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 14 के शामलाती खाते की आराजी खाता सं0 247 का खसरा नं0 149 का रकबा 1.00 है0, ख0नं0 547 का रकबा 0.51 है0, ख0नं0 549 का रकबा 4.20 है0, ख0नं0 552 का रकबा 1.85 है0, ख0नं0 601 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 605 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 629 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 630 का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 631 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 634 का रकबा 0.37 है0, ख0नं0 635 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 640 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 641 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 643 का रकबा 1.60 है0, ख0नं0 833 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 814/1406 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 603 का रकबा 0.03 है0, कुल किता 17 का कुल रकबा 10.58 है0 स्थित है वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी खाता सं0 247 सम्वत् 2057 से 2060 वाद पत्र के साथ पेश है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाता है। इसी तरह से प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 10 का भी राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज खाता है। प्रतिवादी क्रम 11 व 12 का भी राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज खाता है। प्रतिवादी क्रम 2 व 4, 5 तेजवीर सिंह, सारिका कुमारी, कृष्णाकुमारी द्वारा वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अपना सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा वादी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 06.06.1996 को बेचान करके आराजी 1/6 अर्थात 1.80 है0, खरीदशुदा पर कब्जा वादी को दिनांक 06.06.1996 को ही सम्भला दिया है तभी से वादी क्रयशुदा आराजी पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। आराजी क्रय करने के बाद में उक्त आराजी वादी के नाम नामान्तकरण सं0 31 दिनांक 10.07. 1997 को खाते भी दर्ज हो गई थी लेकिन प्रतिवादी क्रम 17 के अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा नामान्तकरण सं0 31 दिनांक 10.07.1997 का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं करने के कारण आराजी विक्रेता प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 के ही नाम दर्ज खाता चली आ रही है इसी तरह से प्रतिवादी क्रम 3 लोकेन्द्र सिंह द्वारा वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से ख0 नं0 149, 552 व 643 को छोडकर सम्पूर्ण आराजी 14 किता की 6.38 है0 में से अपना 1/18 हिस्सा अर्थात 0.36 है0 आराजी का बेचान वादी के पक्ष में से दिनांक 13.06.2000 को करके कब्जा आराजी पर सम्भला दिया था अर्थात वादी कमल सिंह खरीदशुदा आराजी वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित है में से 1/6 हिस्सा व 1/18 हिस्सा अर्थात 2.16 है0 पर खरीदने की तारीख से शान्ती पूर्वक काश्त करता चला

आ रहा है लेकिन प्रतिवादी तेजवीर सिंह, लोकेन्द्र सिंह, सारिका कुमारी, कृष्णा कुमारी का बेचान शुदा आराजी पर खाते में नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रम 15 के यहा अपना हिस्सा रहन करा दिया है इस तरह से बेचान कर्ता द्वारा वादी को बेचान शुदा आराजी पर ऋण लेकर वादी के साथ धोखाधड़ी की है। ऋण अदायगी का भार प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 का है तथा खाते में नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 वादी को बेचान शुदा आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है उक्त आशय की धमकी दिनांक 05.11. 2008 को प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 ने दी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैरकानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है अगर प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 अपने अवैधानिक एवं गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तथा वादी को बेचान शुदा आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादी अपनी खरीदशुदा आराजी पर प्राप्त चले आ रहे हक हकूको से वंचित हो जावेगा जिसके फलस्वरूप वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा अनेकानेक वाद विवादों मे उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादी यह वाद पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की पारित की जावे कि विक्रय विलेख बहक वादी दिनांक 06.06.1996 तथा 13.06.2000 की रूह से वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से 1/6 हिस्सा व 1/18 हिस्सा अर्थात 2.36 है0 आराजी जिस पर वादी काबिज है पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में खातेदार की हैसियत से दर्ज किया जावे। तथा बैंक ऋण वादी की खरीदशुदा आराजी पर प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 द्वारा ले रखा है उस ऋण को प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 से ही जमा करवाया जावे। प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जावे कि वे वादी को उसकी खरीद शुदा स्वामित्व की आराजी को शान्ती पूर्वक काश्त काश्त करने देवे। इस हेतु माननीय न्यायालय में यह वाद संख्या 94/2009 पेश किया गया था।

प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम गोरडी की खाता संख्या 243 की कुल किता 17 कुल रकबा 10.58 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 2 , 4, 5 /विक्रेतागण द्वारा किये गये बेचान पत्र दिनांक 01.06.1996 में डीड राईटर व उपपंजीयन अधिकारी द्वारा प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5 का हिस्सा 1/6 दर्शा रखा है जबकि इनका कानूनन हिस्सा 3/36 यानी 1/12 ही बनता है। प्रतिवादी क्रम 2, 4 व 5 अपने हिस्से को ही बेचान कर सकते है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 3 के बेचान पत्र दिनांक 13.06.2000 में ग्राम गोरडी की

उक्त विवादित आराजी में से ख0नं0 149, 552 व 643 को छोडकर शेष किता 14 कुल रकबा 6.38 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा 1/18 दर्शा रखा है जबकि इनका हिस्सा 1/36 बनता है। प्रतिवादी क्रम 3 ने अपने हिस्से का ही बेचान किया है जबकि डीडराईटर व उपपंजीयन अधिकारी द्वारा विक्रय पत्र में गलत हिस्सा दर्ज कर विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया जो कि विधि विरूद्ध है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही वादी के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादी क्रम 16 शाखा प्रबंधक शाखा अटरू ने जवाब दावा पेश कर बैंक का ऋण मय ब्याज अदा होने तक कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं करने का निवेदन किया ।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 व 16 **जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र** और उभयपक्षकारान द्वारा साक्ष्य –गवाहों व बहस के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू द्वारा तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2016 जारी की गई थी।

3. प्रतिवादीगण 2 ता 5 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2016 की न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील की गई। जिसमें माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.07.2017 से इस न्यायालय के आदेश व डिक्री दिनांक 30.03.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि निर्णय के पेरा संख्या 10 में किये गये विवेचन के अनुसार समस्त खातेदारों के विधिक हिस्सा तय कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

4. अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2017 की पालना में वादी एवं प्रतिवादीगण को नये सिरे से सुनवाई एवं जवाब पेश करने का अवसर देने के लिए जर्ये नोटिस तलबी की गई। वादीगण की ओर से अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन, प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 ओर से अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह , प्रतिवादी क्रम 14 की ओर से श्री बद्रीलाल नागर व प्रतिवादी क्रम 15 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिशचन्द्र हाडा उपस्थित हुऐ। प्रतिवादी क्रम 1, 6 से 13, 16 व 17 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. वादी द्वारा अपने मूल वाद संख्या 94/2009 के वाद पत्र एवं पेश दस्तावेजों को स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 ने भी मूल वाद में पेश किये गये जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र सह दस्तावेज दिनांक 26.04.2012 को यथावत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी क्रम 14 ने नये सिरे से जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं0

1 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार हें वाद पत्र की मद नं0 3 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 नन्दकंवर से आराजी क्रय करना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। वाद द्वारा प्रतिवादी क्रम 14 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादिया क्रम 14 बृजकंवर ने वाके ग्राम एवं माल गोरडी पटवार क्षेत्र ननावता तहसील अटरू का नया खाता संख्या 78 व पुराना खाता संख्या 247 का ख0नं0 547 का रकबा 0.51 है0 किस्म बारानी द्वितीय, ख0नं0 549 का रकबा 4.20 है0 किस्म बारानी प्रथम, ख0नं0 552 का रकबा 1.85 है0 किस्म बारानी प्रथम, ख0नं0 601 का रकबा 0.07 है0 किस्म बारानी प्रथम, ख0नं0 605 का रकबा 0.26 है0 चाही प्रथम जाव प्रथम, ख0नं0 629 का रकबा 0.07 है0 किस्म बारानी प्रथम, ख0नं0 630 का रकबा 0.27 है0 किस्म दीगर, ख0नं0 631 का रकबा 0.06 है0 किस्म दीगर, ख0नं0 640 का रकबा 0.06 है0 किस्म गै0 मु0 डहरी, ख0नं0 641 का रकबा 0.09 है0 चाही प्रथम जाव प्रथम, ख0नं0 643 का रकबा 1.60 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कुल किता 13 का कुल रकबा 9.45 है0 प्रतिवादिया क्रम 7 नन्दकंवर का हिस्सा 1/3 था जिसका कुल रकबा 315/945 में से 185/945 हिस्से को दिनांक 04.06.2008 को रूबरू गवाहन जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा क्रय किया था जिसका नामान्तकरण प्रतिवादिया क्रम 14 बृजकंवर के पक्ष में हो चुका है। प्रतिवादिया क्रम 14 ने वाके ग्राम एवं माल गोरडी जागीर तहसील अटरू की खाता संख्या 138 का ख0नं0 126/1499 का रकबा 0.25 है0, ख0नं0 185 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 186 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 187 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 189 का रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 401 का रकबा 2.98 है0, ख0नं0 1100 का रकबा 2.50 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 7.49 है0 में प्रतिवादिया 11 धर्मकंवर बाई व प्रतिवादिया क्रम 13 बेजन्ती बाई उर्फ छोटी बाई का हिस्सा 1/3 को दिनांक 12.02.2014 को रूबरू गवाहान जर्ये रजिस्टर्ड बेनाम क्रय किया था जिसका नामान्तकरण बृजकंवर के पक्ष में खुल चुका है। नन्दकंवर तथा धर्मकंवर बाई व बेजन्ती बाई से आराजी क्रेता बृजकंवर खरीदशुदा आराजी पर वक्त खरीद से शान्तिपूर्वक बिना व्यवधान के काबिज काश्त करती चली आ रही है। वादी द्वारा कोई अनुतोष प्रतिवादिया क्रम 14 बृजकंवर से नहीं चाहा गया है। प्रतिवादिया क्रम 14 बृजकंवर सहखातेदार होने के कारण उसको पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादिया क्रम 14 बृजकंवर को वादी

से जवाब दावा खर्चा 10,000/– रू वादी से दिलाये जावे। अतः प्रतिवादिया क्रम 14 बृजकंवर की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें। प्रतिवादी क्रम 15 ने नये सिरे से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में ग्राम व माल गोरडी तहसील अटरू जिला बारां में भूमि स्थित होना स्वीकार है। पत्र की मद नं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पत्र की मद नं0 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पत्र की मद नं0 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पत्र की मद नं0 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पत्र की मद नं0 6 में वर्णित तथ्य पक्षकारान द्वारा प्रतिवादी क्रम 15 की बैंक से ऋण लिया जाना एवं उसे आवश्यक पक्षकारान बनाया जाना स्वीकार है। शेष जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। चूंकि जब पक्षकारान ने प्रतिवादी क्रम 15 की बैंक से ऋण ले रखा है इसलिए जब तक प्रतिवादी क्रम 15 शाखा प्रबंधक पी.एन.बी. शाखा कवाई का समस्त ऋण मय ब्याज अदा नहीं हो जाता तब तक पक्षकारान माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 7 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। चाहा गया अनुतोष जिस प्रकार लिखा गया है अस्वीकार है, विशेष विवरण कथन में दर्ज है।

<u>विशेष–विवरण</u>

पक्षकारान द्वारा प्रतिवादी क्रम 15 की बैंक पी.एन.बी. शाखा कवाई से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को रहन रखकर ऋण प्राप्त कर रखा है। इसलिये जब तक बैंक प्रति. क्रम. 15 की बैंक का समस्त ऋण मय ब्याज अदा नहीं हो जाता तब तक पक्षकारान माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की कोई कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि जब तक प्रतिवादी क्रम 15 पी.एन.बी. शाखा प्रबंधक शाखा कवाई का ऋण मय ब्याज अदा नहीं हो जाता तब तक पक्षकारान को किसी प्रकार की कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं किये जाने की कृपा करे।

6. माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 31.07.2017 की पालना में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पूर्व में कायम तनकीयात पर उभय पक्षकारों द्वारा सहमती दी गई। अतः प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

<u>तनकी सं0 01</u> – आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की है। जिसमें से प्रतिवादी क्रम नं0 2, 4, 5 द्वारा अपना 1/6 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 06.06.1996 को बैचान करके कब्जा वादी को सम्भला दिया इसी तरह से प्रति0 क्रम नं0 3 लोकेन्द्र सिंह द्वारा भी अपना 1/18 हिस्सा ख0 नं0 149, 552, 643 को छोडकर वादी को बैचान कर दिया था। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.06.1996 प्रतिवादी क्रम 2, 4 व 5 से **<u>विवादित आराजी कुल किता 17 कुल रकबा 10.83 है0 के 1/6 हिस्सा</u>** क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरण संख्या 31 दिनांक 10.07.1997 तस्दीक हुआ और वादी 1/6 भाग पर खातेदार कृषक दर्ज हुआ। वादी क्रय की तारीख से ही उक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादी क्रम 17 तहसीलदार अटरू द्वारा उक्त **नामान्तरण को खारिज किये बिना सीधे ही वादी का नाम राजस्व** रिकार्ड से हटाकर पुनः विक्रेता प्रतिवादी क्रम 2, 4 व 5 का नाम दर्ज कर दिया जो कि प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। इसी प्रकार वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2000 से प्रतिवादी क्रम 3 लोकेन्द्र सिंह से विवादित आराजी में 1/18 हिस्से का क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन प्रतिवादी क्रम 17 द्वारा उक्त क्रय का वादी के पक्ष में इंतकाल नहीं खोला गया है। अतः उक्त बेचान पत्र दिनांक 06.06.1996 के आधार पर वादी को विवादित आराजी के 1/6 हिस्से यानी 1.80 है0 एवं बेचान पत्र दिनांक 13.06.2000 के आधार पर 1/18 यानी 0.36 है0 भूमि पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 द्वारा अभिभाषक वादी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि ग्राम गोरडी जागीर की विवादित आराजी कुल किता 17 कुल रकबा 10.83 है0 में मृतक राजेन्द्र सिंह पुत्र बजरंगसिहं का 1/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। अतः उनके वारीसान –प्रतिवादी क्रम 2, 4 व 5 का संयुक्त हिस्सा 1/12 तथा प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा 1/36 ही काननी रूप से बनता है। उक्त दोनों बेचानों के समय डीडराईटर द्वारा बेचान पत्र को टाइप करते समय त्रुटिवश विक्रय किये जाने वाला हिस्सा 1/6 दर्ज कर दिया था जबकि प्रतिवादी क्रम 2, 4 व 5 का कुल हिस्सा 1/12 बनता था। प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5 द्वारा अज्ञानतावश बेचान डीड के तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा 1/36 बनता था परन्तु त्रुटिवश बेचान पत्र में 1/18 अंकित कर दिया गया जिसका प्रतिवादी क्रम 3 को कोई ज्ञान नहीं था। दोनों विक्रय पत्रों

में हिस्से में लिपीकीय त्रुटि हुई है जिसे उपपंजीयन अधिकारी द्वारा बिना जांच पडताल किये पंजीकृत कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान नहीं कर सकता है और यदि त्रुटिवश कोई बेचान होता है तो वह विधि विरूद्ध होने से आधिक्य हिस्से तक खारिज किये जाने योग्य होगी।

अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादी कम 2 ता 5 की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल ग्राम गोरडी जागीर की जमाबन्दी संवत 2053–56 प्रदर्श पी 6, 2057–60 प्रदर्श पी. 3 एवं पी 4 के अनुसार विवादित आराजी कुल किता 17 कुल रकबा 10.83 है0 में प्रतिवादी कम 2 ता 5 का संयुक्त हिस्सा 1/9 दर्ज रिकार्ड था जिसमें वक्त बैचान प्रतिवादी कम 2 ता 5 प्रत्येक का हिस्सा 1/36–1/36 बनता था। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि कोई भी खातेदार अपने अभिलिखित हिस्से से अधिक हिस्से का बेचान नहीं कर सकता है। उक्त प्रकरण में जब प्रतिवादी कम 2 , 4 व 5 का रिकार्डेड हिस्सा 3/36 यानी 1/12 दर्ज है तो फिर वे 1/6 भाग का बेचान केसे कर सकते है ? यदि किसी डीड राइटर द्वारा किसी खातेदार या खातेदारों के रिकार्डेड हिस्से से अधिक हिस्से का विक्रय पत्र तैयार कर सब रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत किया जाता है तो ऐसा विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से प्रभाव शून्य होगा। विक्रय पत्र दिनांक 06.06.1996 प्रदर्श 9 ए के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कम 2, 4, व 5 ने ग्राम गोरडी जागीर की विवादित आराजी कुल किता 17 रकबा 10.83 है0 में अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान क्रेता कमलसिंह पुत्र सुखराम जाति मीणा के पक्ष में किया था जिसका नामान्तरण संख्या 31 दिनांक 10.07.1997 तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक किया गया था **(प्रदर्श पी 5)**। प्रतिवादी कम 17 तहसीलदार अटरू द्वारा वादी का उक्त नामान्तरण संख्या 31 किस आधार पर खारिज किया गया–का कोई उल्लेख नहीं है। तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक किये गये इंतकाल को अपीलीय न्यायालय एडीएम/डीएम कोर्ट बारां द्वारा ही खारिज किया जा सकता था। इसी प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2000 प्रदर्श 10 ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गोरडी जागीर की विवादित आराजी कुल किता 14 कुल रकबा 6.38 है0 (ख0नं0 149, 552, 643 को छोडकर) में खातेदार प्रतिवादी कम 3 लोकेन्द्र सिंह ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान वादी कमलसिंह पुत्र सुखराम जाति मीणा को किया था। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम गोरडी जागीर की विवादित कुल किता 17 कुल रकबा 10.83 है0 में प्रतिवादी कम 2, 4 व 5 का संयुक्त हिस्सा 1/12 यानी 0.9025 है0 जबकि प्रतिवादी कम 3 का विक्रय की गई आराजी कुल किता 14

कुल रकबा 6.38 में कानूनन हिस्सा 1/36 यानी 0.1772 बनता था और ये उक्त अभिलिखित हिस्से का की बेचान करने के हकदार थे। अतः वादी को ग्राम गोरडी जागीर की विवादित आराजी कुल किता 17 कुल रकबा 10.83 है0 के 1/12 हिस्से पर एवं किता 14 (ख0नं0 149, 552, 643 को छोडकर) कुल रकबा 6.38 के 1/36 हिस्से पर यानी कुल 1.08 है0 भूमि पर ही खातेदार कृषक घोषित किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर आंशिक रूप से ही वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 02. आया बैचान शुदा रकबा वादी के नामानन्तरण सं0 31 दिनांक 10.07.1997 को खाते दर्ज हो गया था लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसका अमल नही हुआ। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। ग्राम गोरडी जागीर के नामान्तरण संख्या 31 दिनांक 10.07.1997 प्रदर्श पी.5 एवं जमाबन्दी संवत 2053–56 के अनुसार ग्राम गोरडी जागीर की विवादित आराजी कुल किता 17 कुल रकबा 10.83 है0 में प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5 द्वारा वादी के पक्ष में बेचान की गई आराजी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया था लेकिन संवत 2057–60 व बाद की जमाबन्दीयों में वादी की जगह पुनः प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5 का नाम दर्ज कर दिया गया था। एक बार राजस्व रिकार्ड में वादी के पक्ष में नामान्तरण संख्या 31 दिनांक 10.07.1997 के तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक होकर अमल दरामद होने के बाद वादी का नाम किस आधार पर हटाया गया– यह तथ्य प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। प्रतिवादी क्रम 17 तहसीलदार अटरू को नामान्तरण संख्या 31 को तस्दीक होने के बाद बिना किसी सक्षम न्यायालय के खारिज किये जाने का कोई अधिकार नहीं था।

अतः तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 03–आया खरीदशुदा आराजी जो वादी के कब्जे में है। का इन्द्राज दुरूस्त कराकर अपने नाम खाता दर्ज कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। पत्रावली में शामिल जमाबन्दी ग्राम गोरड़ी संवत् 2053–56 प्रदर्श 6 के अनुसार विवादित आराजी में प्रतिवादीगण 1 ल 6 का संयुक्त हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी क्रम 6 का हिस्सा 1/9 एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 का हिस्सा 1/9 बनेगा। प्रतिवादीगण 2, 4, 5 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र रजिस्ट्री दिनांक 06.06.1996 अपने दर्ज हिस्से

अनुसार ही किया गया है और प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5 का कानूनन हिस्सा 1/12 बनता है । इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा दिनांक 13.06.2000 को निष्पादित किया गया विक्रय पत्र अपने दर्ज हिस्से अनुसार किया गया है और प्रतिवादी क्रम 3 का कानूनन हिस्सा 1/36 बनता है। इस प्रकार वादी उक्त दोनों रजि0 विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादी क्रम 2, 4 व 5 के तत्समय सम्पूर्ण हिस्से यानी 1/12 भाग तथा प्रतिवादी क्रम 3 के कुल किता 14 में सम्पूर्ण हिस्से यानी 1/36 भाग पर खातेदार कृषक घोषित किये जाने के योग्य है। प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 द्वारा विक्रय के दौरान विवादित आराजी के कितने हिस्से पर कब्जा सम्भलाया था–यह स्पष्ट साबित नहीं होता है। यदि प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 द्वारा अपने रिकोर्डेड हिस्से से अधिक हिस्से पर वादी को कब्जा सौंपा था और वादी उसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है तो भी उसे उस आधिक्य हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर वादी उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5 के कुल 1/12 हिस्से पर व प्रतिवादी क्रम 3 के कुल किता 14 में 1/36 हिस्से की आराजी को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

अतः तनकी सं0 03 आंशिक रूप से बहक वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 04– आया बैचान के बाद का ऋण जो प्रतिवादीगण ने लिया है। उसको प्रतिवादीगण जमा कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का वादी पर था तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार प्रतिवादी क्रम 2 ल 5 द्वारा अपना हिस्सा अपनी इच्छा से वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर कब्जा संभला दिया था। वादी को उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर विवादित आराजी में स्वामित्व प्राप्त हो चुका है। वादी के पक्ष में उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर तहसीलदार अटरू द्वारा नामान्तरण संख्या 31 दिनांक 10.07.1997 तस्दीक भी हो चुका था। लेकिन आगामी राजस्व रिकार्ड में उसका अमल दरामद न करके विक्रेता –प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 नाम यथावत रखना प्रतिवादी क्रम 17 तहसीलदार अटरू और उसके अधिनस्थ कार्मिकों की कानूनन त्रुटि है जिसके लिए वादी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 ने अपने रिकार्डेड हिस्से का बेचान करने के बाद राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज होने का गैर कूननन फायदा उठाकर बैंक प्रतिवादी क्रम 15 व 16 से कृषि ऋण प्राप्त किया है तो इस धोखाधडी की जिम्मेदारी प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 की होगी। साथ में ही प्रतिवादी क्रम 15 व 16 द्वारा विवादित आराजी के स्वामित्व/टाईटल व कब्जे काश्त की जानकारी किये बिना सिर्फ जमाबन्दी के आधार पर

प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 को कृषि ऋण प्रदान करना विधि विरूद्ध है और इसके लिए स्वयं प्रतिवादी क्रम 15 व 16 उत्तरदायी होगें। प्रतिवादी 2 ल 5 द्वारा अपनी आराजी का बैचान करने के पश्चात भी धोखाधड़ी पूर्वक खाते में अपना नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर रहन रख दिया है, अतः उक्त सम्पूर्ण कृषि ऋण को अदायगी करने का दायित्व भी प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 पर है, उक्त ऋण से वादी का कोई संबंध नही माना जावेगा। प्रतिवादी क्रम 15 व 16 वादी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की उक्त आराजी पर दिये गये ऋण को वादी से या वादी के स्वामित्व की उक्त आराजी से वसूलने के अधिकारी नहीं है।

अतः तनकी सं0 4 बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 05 आया लोकेन्द्र सिंह द्वारा कराये गये पंजीयन मे हिस्सा 1/18 गलत दर्ज कर दिया लोकेन्द्र सिंह का हिस्सा 1/36 बनता है। इसी तरह से प्रतिवादीगण नं0 2, 4, 5, द्वारा भी अपने हिस्से से अधिक आराजी का पंजीयन कराया है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। तनकी सं0 1 ता 4 में किये गये विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार प्रतिवादीगण 2 ,4, 5 द्वारा अपने रिकोर्डेड हिस्से 1/12 से अधिक हिस्से यानी 1/6 का बैचान कर विक्रय पत्र निस्पादित किया है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 3 ने भी अपने रिकार्डेड हिस्से 1/36 से अधिक यानी 1/18 का बेचान पत्र निष्पादित किया है। कोई भी पक्षकार अपने रिकार्डेड हिस्से से अधिक हिस्से का विक्रय पत्र निष्पादित नही कर सकता। दोनों विक्रय पत्र में हुई यह त्रुटियां लिपीकीय त्रुटियां मानी जायेगी।

अतः तनकी संख्या 5 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 06– आया लोकेन्द्र सिंह अपना 1/36 हिस्सा आराजी का विभाजन कराकर अलग से दर्ज करा पाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 3 पर था। ग्राम गोरडी जागीर की जमाबंदी संवत 2053–56 प्रदर्श 6 के अनुसार विवादित आराजी कुल किता 17 में प्रतिवादी क्रम 3 का रिकार्डेड हिस्सा 1/36 है जिसमें से प्रतिवादी क्रम 3 ने कुल किता 14 (ख0नं0 149, 552, 643 को छोडकर) कुल रकबा 6.38 है0 में अपना हिस्सा 1/36 का जरिये विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2000 वादी को बैचान कर चुका है। अतः विवादित आराजी के कुल किता 14 कुल

रकबा 6.38 है0 में प्रतिवादी क्रम 3 का कोई हिस्से शेष नहीं बचता है। शेष ख0नं0 149, 552, 643 में ही प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा शेष बचता है।

अतः तनकी सं0 6 आंशिक रूप से प्रतिवादी क्रम 3 पक्ष में व आंशिक रूप से प्रतिवादी क्रम 3 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 07– आया वादी गलत तथ्यो व गलत रिकार्ड के आधार पर कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता वादी वाद खारिज होने योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण 2 ल 5 द्वारा वाद पत्र में वर्णित दोनो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र स्वेच्छा से निस्पादित किये है, वादी विवादित आराजी में क्रय किये गये व ऊपर विशलेषित हिस्से का सद्भाव विक्रेता है। और किसी सद्भावी क्रेता को उसके कानूनन हक व अधिकार की आराजी से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अतः तनकी सं0 7 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 का प्रतिवाद पत्र भी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 का प्रतिवाद पत्र भी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम गोरड़ी की हाल ख0नं0 149 रकबा 1.0 है0 ख0नं0 547 रकबा 0.51 है0 ख0नं0 549 रकबा 4.20 है0 ख0नं0 552 रकबा 1.85 है0, ख0नं0 601 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 605 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 629 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 630 रकबा 0. 27 है0, ख0नं0 631 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 634 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 635 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 640 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 641 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 643 रकबा 1.60 है0, ख0नं0 833 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 814/1406 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 603/1552 रकबा 0.05 है0, कुल किता

17 कुल रकबा 10.83 है0 में से विक्रय पत्र 06.06.1996 अनुसार प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5 का हिस्सा 1/12 यानी रकबा 0.90 है0 तथा विक्रय पत्र 13.06.2000 अनुसार ख0नं0 149, 552, 643 को छोडकर शेष आराजी कुल किता 14 कुल रकबा 6.38 है0 में प्रतिवादी क्रम 3 के हिस्से 1/36 यानी कुल रकबा 0.18 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 की उक्त आराजीयात पर यदि बैंक का रहन दर्ज है तो रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 के शेष बचे हिस्से, यदि कोई है, पर दर्ज किया जावे। उक्त आराजीयात पर ऋण अदायगी की जिम्मेदारी प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 की होगी। वादी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वादी को उसके लम्बे कब्जे काश्त से बिना कानूनी प्रक्रिया के बेदखल नहीं किया जावे। शेष विवादित आराजी के ख0नं0 149 रकबा 1.00 है0, ख0नं0 552 रकबा 1.85 है0 व ख0नं0 643 रकबा 1.60 है0 कुल किता 3 में प्रतिवादी क्रम 3 का **कोई हिस्सा शेष बचता है तो** उसे पृथक कर प्रतिवादी क्रम 3 के खाते दर्ज किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 159/2017 **दायर दिनांकः 27.10.2017**

उनवान

1. कमल सिंह आयु 38 वर्ष पुत्र सुखराम जाति मीणा निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. सुरेन्द सिंह आयु 38 वर्ष पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. तेजवीर सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 कार्यालय के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. लोकेन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 कार्यालय के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
4. सारिका कुमारी आयु 28 वर्ष पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 कार्यालय के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
5. कृष्णा कुमारी आयु 70 वर्ष बेवा राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 कार्यालय के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. जतन कंवर आयु 75 वर्ष बेवा बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
7. नंदकंवर आयु 72 वर्ष बेवा भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
8. भवानी सिंह आयु 44 वर्ष पुत्र भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
9. योगेन्द्र सिंह आयु 42 वर्ष पुत्र भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
10. रामसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
11. धर्मकंवर बाई आयु 48 वर्ष पुत्री रतन सिंह जाति राजपूत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
12. बैजन्ती बाई उर्फ छोटी बाई आयु 46 वर्ष पुत्री रतन सिंह जाति राजूपत निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
13. सुग्रीव सिंह आयु 45 वर्ष पुत्र मदन लाल जाति मीणा निवासी गोरड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
14. बृजकंवर बाई आयु 40 वर्ष पत्नि दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी ननावता तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
15. शाखा प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
16. शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा अटरू जिला बारां।
17. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन

प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह प्रति. क्रम 2 ता 5

विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रति. क्रम 14

विद्वान अभिभाषक श्री हरिशचन्द्र हाडा प्रति. क्रम 15

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम गोरड़ी की हाल ख0नं0 149 रकबा 1.0 है0 ख0नं0 547 रकबा 0.51 है0 ख0नं0 549 रकबा 4.20 है0 ख0नं0 552 रकबा 1.85 है0, ख0नं0 601 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 605 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 629 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 630 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 631 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 634 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 635 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 640 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 641 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 643 रकबा 1.60 है0, ख0नं0 833 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 814/1406 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 603/1552 रकबा 0.05 है0, कुल किता 17 कुल रकबा 10.83 है0 में से विक्रय पत्र 06.06.1996 अनुसार प्रतिवादी क्रम 2, 4, 5 का हिस्सा 1/12 यानी रकबा 0.90 है0 तथा विक्रय पत्र 13.06.2000 अनुसार ख0नं0 149, 552, 643 को छोडकर शेष आराजी कुल किता 14 कुल रकबा 6.38 है0 में प्रतिवादी क्रम 3 के हिस्से 1/36 यानी कुल रकबा 0.18 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 की उक्त आराजीयात पर यदि बैंक का रहन दर्ज है तो रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 के शेष बचे हिस्से, यदि कोई है, पर दर्ज किया जावे। उक्त आराजीयात पर ऋण अदायगी की जिम्मेदारी प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 की होगी। वादी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वादी को उसके लम्बे कब्जे काश्त से बिना कानूनी प्रक्रिया के बेदखल नहीं किया जावे। शेष विवादित आराजी के ख0नं0 149 रकबा 1.00 है0, ख0नं0 552 रकबा 1.85 है0 व ख0नं0 643 रकबा 1.60 है0 कुल किता 3 में प्रतिवादी क्रम 3 का **कोई हिस्सा शेष बचता है तो** उसे पृथक कर प्रतिवादी क्रम 3 के खाते दर्ज किया जावे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.12.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)